

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन(ग्रुप-2)विभाग

क्रमांक :- प. 2(1)साप्र/2/2021

जयपुर, दिनांक : 27 OCT 2021

-: आदेश :-

निम्नांकित अधिकारियों/कर्मचारियों को उनकी द्वितीय श्रेणी की दरियतानुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित राजकीय आवास उनके निवास हेतु नियमानुसार किराये पर राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के प्रावधानानुसार निम्नानुसार शर्तों के आधार पर एतद्वारा आवण्टित किया जाता है:-

क्र.सं.	वरियता क्रमांक	आवंटी नाम एवं पदनाम	सेवानिवृत्ति	आवंटित राजकीय आवास
1.	33/2013	श्री लड्डू लाल मीणा शासन उप सचिव राजस्व ग्रुप -7 विभाग शासन सचिवालय जयपुर	30.06.2022	II/50 गांधीनगर
2.	41/2013	श्री महेन्द्र सिंह हाडा सहायक आचार्य नाक, कान, गला विभाग, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर।	30.6.2038	एम-4, गांधीनगर
3.	45/2013	श्रीमती रंजीता गौतम आर. ए. एस. उप निदेशक इन्दिरा गांधी पंचायती राज संस्थान, जयपुर	31.07.2038	II/56 एवीएस गांधीनगर
4.	75/2013	डॉ सैयद यावार हुसैन सहायक आचार्य आर यू एच एस डेन्टल कालेज जयपुर	31.03.2032	II/34 गांधीनगर
5.	85/2014	डा. सत्यजीत सोधी मेडीकल आफिसर जिला प्रजजन शिशु स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर प्रथम	30.9.2028	II/48 गांधीनगर
6.	64/2014	श्री सत्यनारायण सयुक्त निदेशक उद्यान उद्यान आयुक्तालय, जयपुर	30.06.2025	II/1 गांधीनगर
7.	34/2015	डॉ0 हरदयाल मीणा चिकित्सा अधिकारी सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर	31.12.2034	II/19 गांधीनगर
8.	37/2015	श्री ओमप्रकाश जाटावत एनालिस्ट कम प्रोग्रामर सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग, जयपुर	31.7.2027	II/38 गांधीनगर
9.	39/2015	श्री नीरज जैन अधिकाधी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान, जयपुर	31.7.2027	II/42 गांधीनगर
10.	40/2015	डॉ0 प्रमोद कुमार पारीक सहायक आचार्य कॉर्डियोलॉजी विभाग सवाई मानसिंह आयुर्विज्ञान महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, जयपुर	31.8.2042	II/14 गांधीनगर
11.	44/2015	श्रीमती विनिता श्रीवास्तव एनालिस्ट कम प्रोग्रामर राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज, लि0, जयपुर	31.5.2043	II/12 गांधीनगर
12.	48/2015	श्री जितेन्द्र पुरोहित उपवास्तुविद कार्यालय अधिकाधी अभियन्ता (मुख्यालय), सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर	31.12.2035	II/85 एवीएस गांधीनगर
13.	49/2015	श्री सौरभ कोठारी आर.पी.एस. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर	31.12.2035	II/24, गांधीनगर
14.	50/2015	श्री आकाश पाठक उप निदेशक आर्थिक एवं साख्यिकी निदेशालय, जयपुर	31.7.2047	II/54, गांधीनगर
15.	51/2015	श्री रघुवीर सिंह आर.पी.एस. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जयपुर	30.6.2024	एन 24 गांधीनगर
16.	55/2015	डॉ0 सुरेन्द्र कुमार सहायक आचार्य	31.5.2042	1/5 हीराबाग

		(चर्म एवं रति रोग) सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर		
17.	57/2015	श्री विकास मीणा उप निदेशक (सांख्यिकी) प्रशासनिक सुधार विभाग शासन सचिवालय, जयपुर	30.4.2045	एम-6, गांधीनगर
18.	1/2016	श्री विद्याधर गोदारा संयुक्त रजिस्ट्रार सहकारी समितियां, राजस्थान, जयपुर	30.11.2022	एम-5, गांधीनगर
19.	19/2016	डॉ० सुमित बाबुता सहायक आचार्य शरीर रचना विभाग सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर	30.9.2032	1/6, हीराबाग
20.	82/2016	डॉ० मनोज कुमार गुप्ता वरिष्ठ प्रदर्शक आईएचबीटी (ब्लड बैंक) सवाई मानसिंह चिकित्सालय जयपुर	31.12.2033	5/5, हीराबाग
21.	83/2016	डॉ० राजेश कुमार बागडी सहायक आचार्य डिवीजन आफ प्लांट पैथोलोजी, राज० कृषि अनुसंधान केन्द्र, जयपुर	31.07.2031	5/6, हीराबाग
22.	84/2016	डॉ० वन्दना यादव सहायक आचार्य पैथोलोजी विभाग सवाई मानसिंह चिकित्सालय जयपुर	31.10.2046	6/5, हीराबाग
23.	50ए/2017	डॉ. बाबू लाल दरिया वरिष्ठ प्रदर्शक, बायोकेमिस्ट्री विभाग, सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर	31.10.2044	704, मॉडल टाउन
24.	2/2018	श्री गोपाल स्वरूप मेवाड़ा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जयपुर कमिश्नरेट	31.05.2038	603, मॉडल टाउन
25.	9/2018	श्री राजकुमार विधि रचना अधिकारी, राजस्थान विधि रचना विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	30.09.2031	605, मॉडल टाउन
26.	10/2018	डॉ. विभा शर्मा संयुक्त निदेशक, योजना विभाग, जयपुर	31.07.2036	604, मॉडल टाउन
27.	14/2018	श्री सुरेश कुमार ओला, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, स्मार्ट सिटी जयपुर	31.07.2048	205, मॉडल टाउन
28.	15/2018	डॉ. रामबाबू मीना, सहायक आचार्य सवाई मानसिंह चिकित्सालय जयपुर	31.07.2048	701, मॉडल टाउन
29.	21/2018	डॉ. सुनीता कुमारी सहायक आचार्य, सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर	31.07.2049	705, मॉडल टाउन
30.	24/2018	श्री किशोरी लाल अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त, लाईसेंसिंग एवं लीगल, पुलिस आयुक्तालय, जयपुर	30.04.2042	303, मॉडल टाउन
31.	27/2018	श्री महेन्द्र कुमार बुरडक अधिशाषी अभियन्ता गुण नियंत्रण एवं सतर्कता, जल संसाधन विभाग, जयपुर	31.03.2027	703, मॉडल टाउन
32.	28/2018	श्री वाला राम सोलंकी संयुक्त निदेशक, कृषि, पंत कृषि भवन, जयपुर	28.02.2023	404, मॉडल टाउन
33.	35/2018	श्री रोहिताश कुमार मीणा एसीपी (डीडी) सेटलमेंट विभाग, जयपुर	31.05.2043	103, मॉडल टाउन

शर्त :-

1. आवास का कब्जा आवंटन/रिक्त की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
3. सेवानिवृत्ति पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
5. स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने / क्रय करने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
6. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी-चूँकि उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(III)ए के अनुसार में आदेश प्रसारित होने के आवास रिक्त की तिथि से 8 दिवस में अथवा आवंटन स्वीकार करने के असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
7. आवंटी को आवंटित राजकीय आवास का कब्जा देने से पूर्व संबंधित अधिशाषी अभियन्ता को यह घोषणा करनी होगी:-
 1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे है।
 2. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा स्वयं/पति/पत्नी व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम से जयपुर में कोई निजी आवास निर्मित/क्रय नहीं किया है।
8. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होगी।
9. क्रम संख्या 3, 12 एवं 23-33 पर अंकित आवंटी से कॉमन सुविधा शुल्क के पेटे राशि रुपये 300/- (अक्षर तीन सौ रुपये मात्र) सीधे इनके वेतन से काटे जाकर राजकोष में जमा कराने होंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
डिप्टी चीफ ऑफ प्रोटोकॉल

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. जिला कलक्टर, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-4/2)/(क-4) विभाग/विधि एवं विधिक कार्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
3. निदेशक, इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटीगण के कब्जा लेने की तिथि से किराया वसूली कर राजकोष में जमा कराने को सुनिश्चित करावें।
4. अति० मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटीगण के कब्जा लेने की तिथि से किराया वसूली कर राजकोष में जमा कराने को सुनिश्चित करावें।
5. निदेशक, कृषि पंत, कृषि विभाग जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
6. निदेशक, उद्यानिकी विभाग, उद्यान निदेशालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
7. अधीक्षक/प्राचार्य, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, आर.यू.एच.एस डैन्टल कॉलेज/राज० कृषि अनुसंधान केन्द्र/जिला प्रजनन शिशु स्वास्थ्य विभाग जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटीगण के कब्जा लेने की तिथि से किराया वसूली कर राजकोष में जमा कराने को सुनिश्चित करावें।
8. निदेशक, सुचना और प्रौद्योगिकी विभाग जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
9. निदेशक, राजकॉम्प इनफो सर्विसेज लिमिटेड, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
10. पुलिस आयुक्त, आयुक्तालय जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
11. निदेशक, अर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय जयपुर, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
12. निदेशक, योजना विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
13. रजिस्ट्रार, सहाकारी समितियां, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
14. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, स्मार्ट सिटी जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
15. आयुक्त, सेटलमेंट विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
16. वित्तीय सलाहकार कार्मिक (ग) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
17. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटीगण के कब्जा लेने की तिथि से किराया वसूली कर राजकोष में जमा कराने को सुनिश्चित करावें।
18. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, शासन सचिवालय/जयपुर शहर, जयपुर।
19. प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर- कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेब साईट पर अपडेट करने का श्रम करावें।

20. सामान्य प्रशासन (ग्रुप-6) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
21. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर खण्ड-तृतीय (मुख्यालय)/हीराबाग जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि इस आवण्टन पत्र के पीछे दिये गये प्रपत्र की आवश्यक पूर्ति करने के पश्चात् ही आवण्टन की कार्यवाही सुनिश्चित करावें।
22. अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, गांधीनगर/हीराबाग जयपुर।
23. अधिशाषी अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, रामबाग सर्किल, जयपुर।
24. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग चौकी, गाँधीनगर/हीराबाग, जयपुर-कृपया उक्त आदेश को कार्यालय ब्लेकबोर्ड पर चस्पा करावें साथ ही आवंटन के द्वारा कब्जा लेने/रिक्त दिनांक की सूचना निदेशक सम्यदा विभाग, मिनी सचिवालय जयपुर को भी भिजवाये।
25. संबंधित अधिकारी/कर्मचारी को प्रेषित कर लेख है कि कब्जा लेने से पूर्व इस आवण्टन पत्र के पीछे दिये गये प्रपत्र की अपने स्तर पर आवश्यक पूर्ति कर अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर खण्ड-तृतीय (मुख्यालय), जयपुर को सम्मलवाने के पश्चात् ही कब्जा प्राप्त करेंगे।
26. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, साप्रवि।
27. रक्षित पत्रावली।


डिप्टी चीफ ऑफ प्रोटोकॉल